

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष — अरविंद प्रसाद केशरी अन्य ।

बनाम

सं० 51/2023

द्वितीय पक्ष — नितेश प्रसाद केशरी बगैरह ।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं० 14/2023 दिनांक 15/06/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) अरविंद प्रसाद केशरी उम्र 65 वर्ष पिता स्व० इंदर प्रसाद केशरी (2) संतोष प्रसाद केशरी उम्र 39 वर्ष पिता अरविंद प्रसाद केशरी (3) रंजीत केशरी उम्र 38 वर्ष पिता अनिल प्रसाद केशरी (4) अनिल प्रसाद केशरी उम्र 62 वर्ष पिता इंदर प्रसाद केशरी सभी ग्राम+पो०+थाना पालकोट, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) नितेश प्रसाद केशरी उम्र 35 वर्ष पिता रामसुंदर प्रसाद केशरी (2) विशाल कुमार केशरी उम्र 25 वर्ष पिता स्व० अशोक प्रसाद केशरी (3) जयशंकर प्रसाद केशरी उम्र 55 वर्ष पिता स्व० इंदर प्रसाद केशरी (4) प्रवीण कुमार केशरी उम्र 25 वर्ष पिता जयशंकर प्रसाद केशरी सभी ग्राम+पो०+थाना पालकोट जिला गुमला के बीच पैतृक जमीन, मकान एवं दुकान का बंटवारा को लेकर आपसी विवाद एवं तनाव हैं। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई की समयअवधि समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 31/1/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	